न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

66

अपील - 1188 - III - 16

अपील प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी

दौलतिया पुत्र श्री ग्यासिया आदिवासी निवासी–ग्राम सिलपुरा तहसील खनियाधाना जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...... प्रत्यर्थी

न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 181/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.11.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा ग्राम सिलपुरा तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित कुल भूमि में से खसरा क्रमांक 64 रकवा 0.60 है0 भूमि विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जिसके संबंध में तहसीलदार खनियाधाना एवं अनुविभागीय अधिकारी खनियाधाना से प्रतिवेदन प्राप्त किये गये थे किन्तु इसके बावजूद उपरोक्त प्रतिवेदनो पर विचार किये बिना प्रतिवेदनो के विपरीत आदेश दिनांक 01.10.2011 से अपीलार्थी का विक्रय अनुमति का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया।
3. यहकि, कलेक्टर जिला शिवपुरी के आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 181/2012–13 प्रस्तुत की गयी थीं जिसमें अंतिम तर्क दिनांक 07.10.2014 को श्रवण किये गये थे किन्तु उपरोक्त प्रकरण में 12–14 महीने तक कोई आदेश पारित नहीं किया बल्कि दिनांक 30.11.2015 को कलेक्टर जिला शिवपुरी से 5 बिन्दुओ की जानकारी मांगी गयी है इस प्रकार अपीलार्थी के प्रकरण का निराकरण गुण दोषो पर न किया जाकर प्रकरण को विलबिंत करने का प्रयास किया गया है जिससे अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त कर अपीलार्थी को भूमि विक्रय की अनुमति के सबंध में आदेश दिये जाने की कृपा करें।
4. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.12.2011 को प्रकरण प्रस्तुत किया था किन्तु इसमें वर्ष 2014 तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अधीनस्थ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1188/तीन/2016 जिला–शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8-5-16	यह अपील अपीलार्थी द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 181/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 44 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अपीलार्थी ने कलेक्टर, शिवपुरी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है कि ग्राम पिपरौदा उबारी में स्थित अपने स्वामित्व की भूमि सर्वे क्र.64 रकवा 0.60 हैक्टेयर राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थी के नाम से भूमि स्वामी हक मे दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने का अनुबंध किया है। जिससे वह बैक एवं अन्य व्यक्तियों का कर्ज अदायगी एवं शेष भूमि को सिंचित बनाने के उद्देश्य से किया गया है अपीलार्थी के पास उक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात् ग्राम सिलपुरा में स्थित भूमि का प्रर्याप्त रकवा शेष बचता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की उक्त भूमि सर्वे क्र.64 रकवा 0.60 हैक्टेयर जो ग्राम पिपरौदा उबारी में स्थित है, के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। कलेक्टर शिवपुरी ने प्रकरण क्र.71/2010–11/अ–21(1) पंजीबद्व कर अपीलार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच तहसीलदार खनियाधाना एवं अनुविभागीय अधिकारी से करायी। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, शिवपुरी ने पारित आदेश दिनांक 01.10.2011 से विक्रय	

अनुमति का आवेदन पत्र खारिज कर दिया। इस आदेश के विरुद्व आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 181/2012-13 प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें अंतिम तर्क दिनांक 07.10.2014 को श्रवण किये गये थे एवं आदेश दिनांक 30.11.2015 को इस आधार पर पारित किया गया कि प्रकरण में वांछित जानकारी मंगायी जाये। इस प्रकार अपीलार्थी के प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नहीं किया, इसलिए आयुक्त न्यायालय के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3- अपील मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4- अपीलार्थी अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी की और से उठाये गये तथ्यो पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी की ओर जॉच प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। जिसे प्राप्त होने पर तहसीलदार खनियाधाना को प्रेषित किया गया। जिस पर तहसीलदार खनियाधाना हल्का पटवारी से प्रतिवेदन तबल किया गया जिस आधार पर हल्का पटवारी द्वारा अपना प्रतिवेदन तहसीलदार खनियाधाना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार खनियाधाना द्वारा अपना प्रतिवेदन लेख करते हुये अनुविभागीय अधिकारी की ओर प्रेषित किया गया। तहसीलदार खनियाधाना से प्रकरण प्राप्त होने पर तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुये अपना अभिमत को कलेक्टर जिला शिवपुरी की ओर प्रेषित किया। किन्तु कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदनों पर विचार किये बिना अपने आदेश दिनांक 01.10.2011 से विक्रय अनुमति का आवदेन पत्र निरस्त

कर दिया गया, जबकि प्रतिवेदनों के विपरीत आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस बिन्दु पर विचार किये बिना जो विचार कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है।

उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण अंतिम तर्क दिनांक 07.10.2014 को श्रवण किये गये थे, किन्तु आदेश एक वर्ष पश्चात् दिनांक 30.11.2015 को पारित कर वांछित जानकारी अधीनस्थ न्यायालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी से मांगी गयी है। इस प्रकार परोक्ष रूप से अपीलार्थी की अपील का अंतिम निराकरण न करते हुए प्रकरण को विलम्बित किया गया है, ऐसी स्थिति में आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

भूमि विक्रय किये जाने के संबंध मे विधिवत् रूप से अनुबंध किया गया है इससे अपीलार्थी को कोई आर्थिक हानि नहीं हो रही है बल्कि अपीलार्थी को भूमि का जो मूल्य प्राप्त हो रहा है वह पर्याप्त है, ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दिये जाने की कृपा करें।

5- प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर से शासकीय अभिभाषक उपस्थित उनके द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा अपील प्रकरण में वांछित जानकारी मंगायी गयी है, ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में जो आदेश आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित किया गया है, वह विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6- अपीलार्थी के अभिभाषक के तर्को के अनुसार प्रकरण में यह देखना है कि अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं ?

1- तहसीलदार खनियाधाना ने अपीलार्थी के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जॉच कर अपना प्रतिवेदन में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद अपीलार्थी के पास ग्राम सिलपुरा में प्रर्याप्त भूमि का रकवा शेष बचेगा। तात्पर्य यह है कि अपीलार्थी भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- प्रतिवेदन में बताया गया है कि अपीलार्थी द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व-अर्जित भूमि है। बल्कि यह भूमि उसके द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय की है।

3- तहसीलदार खनियाधाना ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि आवेदित भूमि पर अपीलार्थी वर्तमान में कृषि कार्य नहीं कर पाने क्योंकि यह भूमि अपीलार्थी के निवास स्थान से 40 कि.मी. दूरी पर है आवेदित भूमि से किसी प्रकार की कोई आय नहीं होने से आवेदित भूमि विक्रय अनुमति प्राप्त कर विक्रय उपरान्त ग्राम सिलपुरा में स्थित भूमि पर सिंचाई के साधनों का निर्माण तथा बैंक कर्ज का निराकरण करने हेतु अपीलार्थी द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गयी है।

7- अपीलार्थी अभिभाषक के तर्को के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं अपीलार्थी की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि अपीलार्थी भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वंय द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तो का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

8- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के स्वत्व एवं

स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व–अर्जित है। अपीलार्थी आदिवासी जाति का व्यक्ति है जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है, संहिता की धारा 165 (6) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण अपीलार्थी ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है अपीलार्थी ने भूमि विक्रय करने का अनुबंधित राशि पर किया है। परिणामतः अपीलार्थी को स्व–अर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर शिवपुरी ने इस पर गौर न करने में भूल की है। अपील प्रस्तुत किये जाने की दशा में अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण बहस सुनने के उपरांत एक वर्ष पश्चात् भी नहीं किया है बल्कि बांछित जानकारी मांगी गयी है। जो केवल प्रकरण को बिलम्बित करने का उद्देश्य है, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

9– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 71/2010–11/अ–21(1) में पारित आदेश दिनांक 01.10.2011 तथा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्र.181/2012–13 में पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं अपीलार्थी को ग्राम पिपरौदा उबारी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 64 रकवा 0.60 है0 को विक्रय की अनुमति दी जाती है।

सदस्य